संख्या-09/2016/1216/49-1-2016-500(454)/06

प्रेषक,

प्रतीक संजर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता विभाग, उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक जुलाई, 2016

विषय- प्रदेश में कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा प्रदेश के किसानों के हित के लिये "सहकारिता ऋण एवं अधिकोषण" योजनान्तर्गत प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति (पैक्स) के माध्यम से किसानों को कम ब्याज दर पर फसली ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु "ब्याज अनुदान" की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक-144/लेखा-अ दिनांक 21-07-2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 में कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा प्रदेश के किसानों के हित के लिये "सहकारिता ऋण एवं अधिकोषण" योजनान्तर्गत प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति (पैक्स) के माध्यम से किसानों को कम ब्याज दर पर फसली ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु "ब्याज अनुदान" के रूप में वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 2,00,00,00,000/- (रू0 दो अरब मात्र) में से रू0 1,63,98,00,000/ की स्वीकृति शासनादेश संख्या-07/2016/606/49-1-2016-500(454)/06 दिनांक 26 मई, 2016 द्वारा प्रदान की जा चुकी है। तत्क्रम में अवशेष धनराशि रू0 36,02,00,000/- (रू0 छत्तीस करोड दो लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त ब्याज अनुदान के उपयोग आदि के संबंध में समस्त शर्ते शासनादेश सं0 3309/49-1-2006-500(454)/06 दिनांक 07-12-2006 एवं शासनादेश सं0-1006/49-1-2011-500(454)/06 दिनांक 20-07-2011 एवं सं0-1293/49-1-2013-500(454)/06 दिनांक 27-06-2013 के अनुसार ही रहेगी।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं आडिट रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायी जाये।

-2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-18 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष "2425-सहकारिता-आयोजनागत-107-क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता-10-प्रारम्भिक सहकारी कृषि ऋण समितियों के माध्यम से कृषकों को कम ब्याज दर पर फसली ऋण उपलब्ध कराने हेतु अनुदान-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

5- उपरोक्त वित्तीय स्वीकृति के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनॉक 22-03-2016 में उल्लिखित संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनॉक 22-03-2016 में निहित निर्देशों/व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्रतीक संजर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-09/2016/1216(1)/49-1-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा)प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य लेखा परीक्षाधिकारी,सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0, लखनऊ।
5-मुख्य महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक,11-विपिन खण्ड,गोमती नगर,लखनऊ।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, कार्यालय निबन्धक, सहकारी समितियॉं, उ0प्र0, लखनऊ।
8- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1
9- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2
10- सहकारिता अनुभाग-3

आज्ञा से,

(प्रतीक संजर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in